उत्तराखण्ड परिवहन निगम, मुख्यालय,
1, राज विहार, चकराता रोड़, देहरादून।

पत्रांक 153/।।।(1)–मृतक आश्रित नियुक्ति–2015 दिनांक 27 जुलाई,2015

मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन)
उत्तराखण्ड परिवहन निगम
देहरादून, नैनीताल, टनकपुर क्षेत्र।

विषयः–उत्तराखण्ड परिवहन निगम में दिनांक 31 मार्च,2015 तक के मृतक आश्रितो को नियुक्ति प्रदान किये जाने विषयक।

उपर्युक्त विषयक मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन), देहरादून/नैनीताल/टनकपुर क्षेत्र के द्वारा प्रेषित मृतक आश्रितो की प्रकरण पत्रावलियों के अवलोकन के पश्चात निगम मुख्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा निम्न प्रतिबन्धो के साथ अनापत्ति/आपत्ति दिये जाने की सस्तुति की गई हैः–

1– मृतक आश्रितो के अभिलेखों की सत्यता का उत्तरदायित्व मण्डलीय/डिपो स्तर पर निर्धारित किया जाता है तथा उसमें किसी प्रकार की त्रुटि/अनियमितता हेतु वह स्वयं उत्तरदायी होगें। अतः अभिलेखों के परीक्षण में विशेष सावधानी बरती जाये।

2– नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे प्रकरणो में जिनमें मृतक के एक से अधिक उत्तराधिकारी हो उनमें सभी उत्तराधिकारियों से अनापत्ति शपथ पत्र मूल रूप में प्राप्त करने के उपरान्त ही नियुक्ति क़ी कार्यवाही करेगें।

3– समिति द्वारा यह भी संस्तुति की गई कि मुख्यालय स्तर से मण्डलीय प्रबन्धकों को मृतक आश्रित की नियुक्ति की औपचारिकताए पूर्ण करने हेतु जो प्रोफ्रार्मा पूर्व में भेजा गया है, उसी प्रारूप में मृतक आश्रित को औपचारिकतायें पूर्ण करने हेतू अपने कार्यालय में बुलायें एवं सभी औपचारिकताये पूर्ण होने के उपरन्त ही नियुक्ति की कार्यवाही की जाये।

4– नियुक्ति प्राधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगें कि सभी मृतक आश्रितों का पुलिस सत्यापन एवं सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाये तथा स्वास्थ्य परीक्षण/पुलिस सत्यापन की रिर्पोट के आधार पर ही नियुक्ति की कार्यवाही की जाये। किसी भी दशा में स्वास्थ्य परीक्षण एवं पुलिस सत्यापन कराये बिना नियुक्ति की कार्यवाही न की जाये। इसके अतिरिक्त नियुक्ति प्राधिकारी सम्बन्धित मृतक आश्रित व्दारा उपलब्ध कराये गये सेवा सम्बन्धी स्वप्रमाणित एवं दिनांक सहित अभिलेखो का सत्यापन नियुक्ति के पश्चात अधिकतम एक माह के अन्दर कराना सुनिश्चित करेगें। निगम मुख्यालय स्तर से समय–समय पर किये जाने वाले निरीक्षण में इसे अनिवार्य रूप से देखा जायेगा तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें एवं उनके साथ–साथ मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन) भी उत्तरदायी होगें।

5– समिति द्वारा यह भी संस्तुति की गई कि नियुक्त किये जाने वाले सभी मृतक आश्रितों से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाये कि उनके व्दारा किसी न्यायालय में मृतक आश्रित नियुक्ति हेतु कोई वाद दायर नहीं किया गया है। यदि दायर किया गया है तो सम्बन्धित मृतक आश्रित उक्त वाद को तत्काल न्यायालय से वापस लेने को सहमत होगें।

6– समिति द्वारा यह भी संस्तुति की गई कि मृतक आश्रितो के परिचालक एवं चालक पद पर नियुक्ति से पूर्व उनके लाईसेन्स एवं अन्य अभिलेखो आदि की जॉच भी कर ली जाये।

7– समिति द्वारा यह मत भी व्यक्त किया गया कि जिन मृतक आश्रितों के प्रकरण में मुख्यालय/मंडलीय स्तर से अनापत्ति नही दी गई है ऐसे प्रकरणों में डिपो/मंडलीय स्तर से सम्बन्धित मृतक आश्रितो को लिये गये निर्णय से तत्काल अवगत करा दिया जाये। इस कार्य में कोई विलम्ब न किया जाये।

8– समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि यदि किसी मृतक आश्रित द्वारा नियुक्ति के समय प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में चालक एवं परिचालक दोनो पदों हेतु प्रार्थना की गई है तो उस स्थिति में सम्बन्धित मृतक आश्रित को चालक पद हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

9– नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे प्रकरण जिनमें नियुक्ति दी जानी है, के मूल अभिलेखो को व्यक्तिगत रूप से देखेगे एंव निगम मुख्यालय के द्वारा जारी परिपत्र संख्या–196 दिनांक 5 अगस्त, 2013 एवं मृतक आश्रित सेवा नियमावली–1974 के प्राविधानो के अन्तर्गत आश्वस्त होने पर ही सम्बन्धित मृतक आश्रित को परिचालक/चालक पद पर नियुक्ति की कार्यवाही करेगें। साथ ही मृतक आश्रित नियमावली एवं समय–समय पर संशोधित शासनादेशों के अनुसार ''कुटुम्ब'' की परिभाषा के अन्तर्गत आने वाले अर्ह मृतक आश्रित की नियुक्ति की कार्यवाही करेगे।

उत्तराचंल शासन कार्मिक अनुभाग–2 संख्या 1633/XXX(2)/2004 देहरादून,08 अक्टूबर ,2004 की अधिसूचना के द्वारा ''कुटुम्ब'' को निम्नलिखित परिभाषित किया गया है।

''कुटुम्ब'' के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगेः–

(1) पत्नी या पति,
(2) पुत्र,
(3) अविवाहित पुत्रियां तथा विधवा पुत्रिया,
(4) मृत सरकारी सेवक पर निर्भर अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था।

सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–63/2014/24/IX/ 2013 दिनांक 28 मई,2014 द्वारा उत्तराखण्ड परिवहन निगम के मृतक आश्रितो को नियुक्ति दिये जाने हेतु निम्नवत् 6 बिन्दुओं पर दिशा निर्देश प्राप्त हुये हैः–

1– मृतक आश्रित की नियुक्ति के लिये मृतक आश्रित नियमावली में अधिकतम आयु सीमा के लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

2– सम्बन्धित मृतक आश्रित की सम्बन्धित पद के सेवा नियम में निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा नियुक्ति के समय होना आवश्यक है।

3– मृतक आश्रित को नियुक्ति प्रदान करते समय उसकी शैक्षिक योग्यता को देखा जाये।

4– मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति देने की व्यवस्था सम्बन्धित मृतक के परिवार पर अचानक आई आपदा के कारण की गयी है, परन्तु यह सेवायोजन पाने का माध्यम नहीं है। अतः कोई एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को नियुक्ति देने का निर्धारण ग्राह्य नहीं किया जा सकता है।

5– 05 वर्ष की छूट का मृतक आश्रित नियमावली में जो उल्लेख किया गया है वह उसी दशा में है जबकि मृतक की पत्नी द्वारा उस सम्बन्ध में आवेदन किया हो कि उनके नाबालिग पुत्र के 05 वर्ष में बालिग होने पर उसे नियुक्ति दी जाये, तो उस दशा में सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यदि निर्णय लिया गया हो कि सम्बन्धित मृतक के आश्रित को मृत्यु के 05 वर्ष बाद बालिग होने पर नियुक्ति प्रदान की जायेगी तभी उस पर विचार किया जा सकता है।

6– मृतक आश्रित की मृत्यु के समय उसके आश्रितों को जो कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण करता हो, अन्यथा जो भी स्थिति है, जो भी शैक्षिक योग्यता हो, उसके अनुसार नियुक्ति प्रदान की जायेगी, परन्तु उसके द्वारा उच्च शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने हेतु छूट नहीं दी जा सकती है।